न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— साक्षी शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या :— Reg.Cri.Case/221/2018
सी.आई.एस. नंबर :— Reg.Cri.Case/221/2018
सी एन आर नंबर :— RJBD080005512018

निर्णय दिनांकः— 02.04.2026

आरक्षी केन्द्र केशोराय पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 459/2017 में 147, 149, 341, 323, 447 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर, सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1. रामकुंवार उर्फ रामकुमार** उम्र 47, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. रामपाल** पुत्र गेन्दीलाल उम्र 46 वर्ष, निवासी रामराजपुरा, थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **3. किशनलाल** पुत्र रामा उम्र 46 वर्ष, निवासी जमीतपुरा थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) **4. कलावती** पत्नी रामकुंवर उम्र 46 वर्ष, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **5. कान्ती बाई उर्फ कान्ही** पत्नी रामपाल उम्र 43 वर्ष, निवासी रामजराजपुरा थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **6. रामघणी** पत्नी किशनलाल उम्र 39 वर्ष, निवासी जमीतपुरा, थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जगदीश दाधीच अभियुक्तगण की ओर से।
अपराध की तिथि	14.11.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	14.11.2017
आरोप पत्र की तिथि	06.04.2018
आरोप के विरचना की तिथि	25.04.2018
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	12.10.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	02.04.2026
निर्णय की तिथि	02.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	02.04.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी	—	—	अंतर्गत धारा 341, 323, 147, 149 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया	—
2.	रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी	—	—	अंतर्गत धारा 447 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	—	—

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	विकाश	नक्शा मौका
अ.सा.—2	सुरेश कुमार	बयान 161 जा.फो. व नक्शा मौका
अ.सा.—3	रामरतन	बयान 161 जा.फो.
अ.सा.—4	डॉ. उमेश कुमार मीणा	मेडिकल मुआयना करना
अ.सा.—5	रामलाल	रेडियोग्राफर
अ.सा.—6	शिवलाल	अनुसंधान अधिकारी
अ.सा.—6	महेश कुमार	बयान 161 जा.फो.
अ.सा.—7	राधेश्याम	बयान 161 जा.फो.

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —	—	—

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—	—	—

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :—

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	नक्शा मौका
2.	प्र.पी.—2	तहरीरी रिपोर्ट
3.	प्र.पी.—3	चाक एफ.आई.आर.
4.	प्र.पी.—4	चोट प्रतिवेदन महेश कुमार
5.	प्र.पी.—5	चोट प्रतिवेदन चन्दीबाई
6.	प्र.पी.—6	एक्स—रे प्लेट कवर नोट
7.	प्र.पी.—6ए	एक्स—रे प्लेट
8.	प्र.पी.—7	जमाबन्दी
9.	प्र.पी.—8	बयान 161 जा.फो.

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
—	—	—

— :: निर्णय ::— **दिनांक :—02.04.2026**

07 वर्ष से अधिक पुराना निर्णय

1. इस आपराधिक प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि 14.11.2017 को सुरेश कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी

रिपोर्ट इस अशय की पेश की कि दिनांक 14.11.2017 को समय 01:45 बजे करीब प्रार्थी व उसका परिवार अपने खेत पर बने मकान इन्द्रपुरिया पर बैठे हुये थे कि अचानक दस—बीस लोग नकाबपोश आये और घर के अंदर घुसकर प्रार्थी व उसके परिवार के साथ मारपीट करने लग गये और उनमें से कुछ लोग ट्रेक्टर लेकर जमीन हांकने लग गये। अप्रार्थीगण गणेश, धर्मराज, भोल्या, शिशुपाल, रामकुंवार, रामपाल, किशनलाल, महावीर, बंटी, कलावती, कान्ही उर्फ कांती, रामघणी एवं दस—पन्द्रह लोग, जो कि नकाब पोश थे। इनके हाथों में गण्डासियां, धारिया, लकड़ियां तथा धर्मराज एवं गणेश, शिशुपाल के पास बंदूक थी, इन लोगों ने प्रार्थी व उसके परिवर पर जान से मारने की नियत से हमला किया, जिससे महेश घालय हो गया। यदि यह लोग चिल्ला कर गांव वाले नहीं आते तो जान से मार डालते साथ ही प्रार्थ के घर में रखे रुपये व जेवरात ले गये।

इस तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी भेजा जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 459/2017 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 447, 452, 382 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(वीए), 3(1)(जी) एस.सी./एस.टी. एक्ट, 1989 (संशोधन 2015) में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 149, 341, 323, 447 भा.दं.सं. का आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्तानुसार आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. पत्रावली पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 149, 341, 323, 447 भा.दं.सं.का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर अभियुक्तगण को उपर्युक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन एवं समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया और स्वयं ने कथन किये कि वह निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क पेश किये की अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य द्वारा अभियोजन कहानी को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर उन्हें कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

5. उक्त तर्को के विरोध में अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्क रहे हैं कि प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित होते हों। प्रमुख साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास होकर वे अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। प्रकरण में जो साक्ष्य आयी है, उससे यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित की गयी हो। अभियोजन न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से पर साबित नहीं कर पाया है। अंत में उपरोक्त तर्को के मध्यनजर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

6. सुना गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि—

1. **क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.11.2017 को समय 12:45 बजे या उसके लगभग स्थान इन्द्रपुरिया के माल स्थित अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी के भाई महेश कुमार एवं उसकी नानी चन्द्रीबाई को उनकी इच्छित दिशा विशेष में जाने से निवारित कर उनका सदोष अवरोध कारित कर फरियादी सुरेश कुमार की कृषि भूमि पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर साामन्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी पक्ष के साथ अपराध कारित करने के लिये विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर बल्वा कारित कर फरियादी सुरेश की कृषि भूमि पर बिना फरियादी सुरेश कुमार की अनुमति के अपराध करने या फरियादी पक्ष को अभित्रस्त करने की गरज से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर एवं अवैध रूप से बने रहकर आपराधिक अतिचार कर आहतगण महेश कुमार एवं चन्द्रीबाई के साथ कुन्द हथियारों से मारपीट कर उकने शरीर पर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित की? एतत्द्वारा अंतर्गत धारा 147, 149, 341, 323, 447 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत अपराध कारित किया?**
2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

<u>विचारणीय बिंदु सं. 1</u>

7. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य व

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का समग्र विवेचन व अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विचारणीय बिंदु सं. 1 को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कुल 07 गवाह को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये हैं।

न्यायालय के समक्ष परिवादी पी.डब्ल्यू–2 सुरेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.11.2017 की बात है। दिन में बारह से एक के बीच की बात है। वह स्कूल में था। जब उसके भाई महेश का फोन आया और उसने बताया कि रामकुवांर, रामपाल और रामकिशन व उनकी पत्नियां और दस पन्द्रह लोग घर पर आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिस पर वह घर आया तो उसने देखा कि उसके छोटे भाई महेश और नानी चन्द्री बाई के साथ रामकुवांर ,रामपाल और रामकिशन व उनकी पत्नियां कलावती और रामघनी व कान्तीबाई और दस पन्द्रह अन्य व्यक्ति, जिनमें गणेश गुर्जर ,धर्मपाल गुर्जर और शेषपाल गुर्जर भी थे। ये सभी लोग मारपीट कर रहे थे। इन सभी लोगों ने घर में तोड़फोड़ की और सोने चांदी के जेवर लेके चले गये। इन सभी लेागों ने जान से मारने की धमकी भी दी, फिर उसने रिपोर्ट दर्ज करायी। जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उनका घर खेत पर बना हुआ है। जहां आकर इन सभी मुलजिमानों ने टेक्टर से खेत को हांकने की कोशिश व जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि वह घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था। घटना के बारे में उसके भाई महेश ने उसे बताया था। वह केशव स्कूल के पाटन में शिक्षक है। रिपोर्ट उसने ही दर्ज कराई थी। वह करीब आठ–दस मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंच गया था। गवाह यह सही होना बताता है कि महेश ने उसे बताया कि दस–पन्द्रह लोग मुंह पर नकाब बांधकर हथियार लेकर आये थे, महेश ने उसे बताया था कि किस अभियुक्त के हाथ में क्या हथियार था तथा पुलिस रिपोर्ट मे यह बात नहीं लिखवायी थी। गवाह यह सही होना बताता है कि घटनास्थल पर कृषिभूमि का खाते दार कौन था और उसके खसरा नम्बर क्या है यह बात रिपोर्ट में लिखवायी या नहीं उसे पता नहीं है। उक्त भूमि उसकी मां के खाते मे दर्ज थी। उसने खाते की नकल रिपोर्ट के साथ पेश की थी। उसके पुलिस में बयान हुए थे तथा उसके द्वारा पेश की गयी नकल में उसकी मां के अलावा मुलजिमानों के भी नाम दर्ज है। उसले रिपोर्ट दर्ज कराने के दूसरे दिन पुलिस मौके पर आयी थी और 15.11.2017 को नक्शा मौका बनाया था। नक्श मौके पर इसी दिन महेश और विकास ने भी हस्ताक्षर किये थे।

8. इसी क्रम में प्रकरण का अन्य प्रमुख गवाह पी.डब्ल्यू–1 विकास न्यायालय में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किये हैं कि वर्ष 2017 में महेश कुमार ,चन्द्री बाई व उसके पापा

रामरतन जी के साथ मारपीट हुई थी इस बात का पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—1 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि नक्शा मौका उनके घर का बनाया था, नक्शा मौका 15.11.2017 को बनाया था। उस समय उसका बड़ा भाई सुरेश, महेश व उसके पापा व वह भी थे। वह नक्शे मौके को देख कर बता सकता है कि घटना कहा घटित हुयी।

9. इसी कम में प्रकरण का अन्य प्रमुख गवाह पी.डब्ल्यू—3 रामरतन न्यायालय में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किये हैं कि उसकी पत्नी रोशन बाई के नाम 26 बीघा जमीन इन्द्रपुरिया में थी। उसकी पत्नी की मृत्यू हो गयी और उसके बाद जमीन उसके तीनों लडको सुरेश, महेश व विकास के नाम हो गई व उनके नाम इंतकाल खुल गया। उक्त जमीन पर वे ही खेती कर रहे थे। उसके ससुर सुरेन्द्र के पास से उक्त 26 बीघा जमीन पहले उसकी पत्नी के नाम आई थी उसके बाद उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद के नाम हुई थी। दिनांक 14.11.2017 को वह व उसका लडका महेश उनके घर के सामने टैक्टर की कल्टी कस रहे थे। दिन के 1:30 बजे की बात थी। उसका साडू रामकुंवार, रामपाल, किशनलाल, कलावती , कान्ही उर्फ कांती, रामघणी, महावीर, बंटी, वहां पर आये वह टैक्टर पर बैठा हुआ था रामपाल ने उसके धारिये की मारना चाहा वह एकदम हट गया, जिससे धारियां टैक्टर के टप पर लगा उस समय उसका लडका पानी लेने मकान के अंदर गया हुआ था। इस पर यह सभी लोग उसके मकान में घुस गये व उसके लडके महेश के साथ मारपीट की। उसकी सासं चन्द्रीबाई बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की। महेश के रामपाल ने बंदुक टेक दी ओर कहा कि यहां से निकल जा नहीं तो जान से मार देगें उसका लडका सुरेश भी स्कुल से आया तो उसके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की। शोर शराबा सुन कर पडोसी भी आ गये थें, जिनको देखकर वो लोग भाग गये थे।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि इस जमीन के मामले में एक मुकदमा एस डी ओ कोर्ट में चल रहा था। कलावती बाई ने उपखण्ड अधिकारी के यहां इसी भूमि का नामांतकरण खुलने के बाद रोशन बाई के नाम जमीन आने के मामले में मुकदमा किया था। उसने इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं करवाई थी। सुरेश कुमार उसका लड़का है। गवाह यह सही होना बताता है कि घटना के दिन वह टैक्टर पर बैठा हुआ था, उसका लड़का महेश पानी लेने घर के अंदर गया था और उस समय घटना हुई थी। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्र.डी. 1 पर ए से बी भाग सही है। घटना के समय सुरेश स्कूल में था। घटना के समय घटनास्थल पर कौन आये थे उनके नाम उसे पता नहीं हैं। उनके खेत के आस पास राजराम बैरवा, महावीर बैरवा, भैरूलाल बैरवा, लटूरलाल बैरवा सहित कई लोगों के खेत हैं।

इनके बयान लिये हो तो उसे पता नहीं है। मुलजिमान किस साधन से आये थे, मुलजिमान जिस टैक्टर को लेकर खेत पर हकाई कर रहे थे उसके नंबर, कौनसा टैक्टर था उसे पता नहीं था, फिर कहा नीले रंग का टैक्टर था। पुलिस बयान में कौनसा टैक्टर था, अंकित नहीं है। टैक्टर को चलाकर कौन लाया यह भी बयानों में अंकित नहीं हैं

10. इसी क्रम में प्रकरण का चिकित्सक गवाह पी.डब्ल्यू—4 डॉ. उमेश कुमार मीणा न्यायालय में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 14.11.2017 को सीएचसी के. पाटन में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ के.पाटन की तहरीर पर मजरूब महेश कुमार पुत्र रामरतन उम्र 23 वर्ष जाति बैरवा निवासी—इन्द्रपुरीया थाना के.पाटन के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर निम्न चोटे थीः— 1—दर्द नुमा सूजन 3 गुणा 2 सेमी. दांये टखने पर। 2—खरोंचनुमा चोट 3 गुणा 3 सेमी. दांहिने पैर के नीचले वाले हिस्से में। 3—दर्द की शिकायत बांये कन्धे के पीछे। 4—निलगू 2 गुणा 1 सेमी. दांये कन्धे के पीछे। 5—दर्द की शिकायत दांये घुटने पर। चोट संख्या 1 के लिये एक्सरे की राय दी गयी। बाद एक्सरे एक्सरे प्लेट नंबर 2879 पर किसी भी प्रकार का अस्थि भंग नहीं पाया गया। चोट संख्या 1 सामान्य प्रकृति की पायी गयी। चोट संख्या 2, 4 भी सामान्य प्रकृति की थी। चोट संख्या 3, 5 में कोई जाहिरा चोट नहीं थी। सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। वह पीछले 10 साल से एक्सरे के लिये सलाह देता आ रहा है इसी अनुभव के आधार पर उसने एक्सरे की राय दी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी'—4 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है व ई से एफ उसकी राय है। एक्सरे प्लेट कवर नोट प्रदर्श पी—6 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी राय है।उसी दिन उसने श्री मति चन्द्री बाई पत्नी सूरजमल उम्र 75 वर्ष के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया, जिसके शरीर पर निम्न चोटे थीः— 1—दर्द की शिकायत छाती पर शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं। चोट प्रतिवदेन प्रदर्श पी—5 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है।

इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में यह गवाह कथन करता है कि उपरोक्त सभी चोटे गिरने—पड़ने से आना संभव हैं।

11. इसी क्रम में प्रकरण का अन्य प्रमुख गवाह पी.डब्ल्यू—5 रामलाल वर्मा वह दिनांक 15.11.2017 को सीएचसी तालेडा में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन एमओ ईंचार्ज के.पाटन के प्रतिवेदन पर मजरूब महेश कुमार पुत्र रामरतन उम्र 23 साल निवासी— इन्द्रपुरीया का पहचान चिन्ह देखकर दांये एंकल का एक्सरे किया था। जिसके एक्सरे प्लेट नंबर 2879 है एक्सरे प्लेट कवर नोट प्रदर्श पी—6 है जिसपर ई

से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—6ए है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसलिये यह नहीं बता सकता कि चोट गंभीर थी या नहीं।

12. इसी क्रम में प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू—6 शिवलाल न्यायालय में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किये हैं कि दिनांक 14.11.2017 को वृत्ताधिकारी के.पाटन के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 459/2017 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 447, 452, 382 आईपीसी एवं 3 एससी/एसटी एक्ट की पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गवाह सुरेश कुमार, महेश कुमार, श्रीमती चंद्री बाई, रामरतन, प्रभूलाल, राधेश्याम के उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए। मजरूब महेश कुमार एवं चंद्री बाई का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर एमएलसी एवं एक्सरे रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 4 लगायत प्रदर्श पी 6 हैं। घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका रूबरू मोतबिरान एवं मजरूब महेश कुमार की उपस्थिति में बनाया गया जो प्रदर्श पी 1 जिसपर ए से बी व सी से डी गवाहान के ई से एफ मजरूब महेश कुमार के जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मूल तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 है जिसपर सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन है तथा जी से एच आईसी थाना बृजराज सिंह एएसआई के हस्ताक्षर हैं जो उसके अधीनस्थ होने के नाते उनके हस्ताक्षर पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 है जिसपर ए से बी फरियादी सुरेश कुमार सी से डी आईसी थाना बृजराज सिंह के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उक्त विवादित भूमि का माननीय उपखण्ड अधिकारी बूंदी एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण कोटा के निर्णय की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण अनुसंधान से आरोपीगण रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कांतीबाई, रामधणी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 149, 341, 323, 447 आईपीसी का प्रमाणित पाए जाने पर जमानत मुचलके भरे जाकर शामिल पत्रावली किए गए तथा उक्त आरोपीगणो के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु पत्रावली संबंधित थानाधिकारी को प्रेषित की गई।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से की गयी जिरह में यह कथन किया है कि जिस जमीन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था उसके प्रकरण एसडीओ कोर्ट, आरएए कोर्ट में पहले से चल रहे थे। गवाह यह सही होना बताता है कि फरियादी सुरेश कुमार विवादित भूमि का सहखातेदार था अकेला खातेदार नही था। यह बात सही है कि अनुसंधान के दौरान गणेश गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, शेषपाल, भोल्या, महावीर बैरवा, बंटी

बैरवा के विरूद्ध कोई अपराध होना प्रमाणित नही पाया गया तथा अनुसंधान के दौरान कोई हथियार जप्त नहीं हुआ और न ही कोई टैक्टर जप्त हुआ।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—6 महेश कुमार अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 14.11.2017 को वह व उसके पापा रामरतन मकान के बाहर टैक्टर कल्टी के बोल्ट कस रहे थे। उसके पापा टैक्टर पर बैठे हुए थे। उसके पापा ने उसको पानी लेने भेजा था। वह पास ही मटकी से पानी लेने लगा इतने में रामकुंवार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कांति, रामधणी, महावीर, बन्टी के हाथों में धारिया गण्डासे लेकर आए। इनको देखकर उसने उसके भाई सुरेश को फोन किया। उसी समय रामपाल ने गण्डासी की उसके पापा के मारने के लिए वार किया तो उसके पापा पीछे हट गए जिससे गण्डासी की टैक्टर के टफ पर लगी। वह उसके पापा के पास आया तो रामपाल, रामकुंवार, कलावती ने उसे रोककर उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। बन्टी, महावीर, रामकिशनश रामधणी ने उसकी नानी चंद्रबाई के साथ भी मारपीट की। रामपाल ने उसके उपर बंदूक तान दी ओर कहा कि तुम्हारे पास एक महीना है यहां से भाग जाओ नही तो जिंदा नही बचोगे। उसका भाई सुरेश भी आ गया था व गांव के लोग भी आ गए थे जिनको देखकर यह लोग वहां से भाग गए। उसके भाई सुरेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौक बनाया था जो प्रदर्श पी—3 है जिसपर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके दांए पैर में चोटे आई थी। मुलजिमान उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते है इसलिए मारपीट की थी। पुलिस ने उसकी चोटो का मेडिकल मुआयना भी करवाया था।

गवाह अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में कथन करता है कि जब घटना हुयी उसका भाई सुरेश स्कूल में था, उसने नकल में कभी मुलजिमान के नाम नहीं देख, वो कुछ भी कराते हैं। उससे उसे कुछ पता नहीं है। धारिया और गण्डासी में अन्रत होता है, दानो अलग—अलग होते हैं। उसने उसके भाई को पिता जी के उपर हमला करने वाली बात फोन पर बतायी थी, उसकी आंखों के सामने हमला हुआ था, उसकी पीठ पीछे की तरफ थी, उसके पिता के कोई चोट कारित नहीं हुयी। उसे तो एक व्यक्ति रामकुंमार उसके मौसा ने मारी थी। उसके रामपाल व कलावरी उसके पीछे खड़े थे, इसलिये उसके चोट मारने से इनका नाम लिखाया था। जब वे लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे। चन्द बाई उसके 2 फीट की दूरी पर, वहां पर वो लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे। चन्दी बाई के मारपीट में तीन चोटे कारित हुयी थीं और उसके चार चोटें आयी थीं। अभियोजन अधिकारी के कहने पर उसने उसके आयी चोटों का विवरण उसने अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं दिया। उसने पुलिस को बताया था कि उसके शरीर पर इन—इन जगहों पर चोटें आयी थी, लेकिन पुलिस बयानों में पुलिस ने इन्द्राज नहीं किया। अकेले आदमी रामकुवार का उसके साथ्ज्ञ मारपीट करना पुलिस बयानों में अंकित नहीं है। वह तब पानी भरकर आया तो मुलजिमान को उसने घर के दरवाजे

पर खड़े देखा, जब वह पानी भरने गया तब मुलजिमान मौके पर नहीं आये थे मुलजिमानों ने आते ही उसके पिता के उपर हमला किया तब उसने उसी समय फोन किया था। उसके पिताजी के हमला करने से पूर्व ही उसने उसके भाई को फोन कर दिया था और उस कॉल के बाद उसने कोई फोन नहीं किया। गवाह यह सही होना बताता है कि फोन पर ही उसने मुलजिमान द्वारा हमला करने की जानकारी उसकी वक्त फोन पर उसके भाई को दे दी थी। नक्शा तमौका बनाया तब वह वहीं पर मौजूद था। नक्शे मोके में उसने उसके उपर व पिता के उपर हमला हुआ, वह स्थान पुलिस को बताया था। उसने नक्शा मौका बनाते वक्त पुलिस को बताया था कि मुलजिमान वहां पर पहली बार देखे, लेकिन पुलिस ने यह स्थान नक्शा मौका में चिन्हित नहीं किया।

14. गवाह पी.डब्ल्यू–7 राधेश्याम को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

गवाह अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी जिरह में कथन करता है कि गवाह को पुलिस बयान प्रदर्श–8 का ए से बी भाग पढ़कर सुनाया तो गलत होना बताता है।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि प्रकरण में दिनांक 14.11.2017 को हुयी घटना के मुख्यतः दो चक्षुदर्शी साक्षी हैं। प्रकरण में मुख्य आहता चन्द्रीबाई न्यायालय में परीक्षित नहीं हो सकी है, किन्तु प्रकरण का अन्य आहत महेश एवं प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी रामरतन न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये हैं।

प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू–6 स्वयं आहत महेश के अभिकथनों से उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया गया हे कि दिनांक 14.11.2017 को उसके पिता रामरतन मकान के बाहर बैठे हुये थे तथा वह पानी लेने आया हुआ था, तभी अभियुक्तगण रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी के द्वारा हथियारों के साथ प्रवेश कर उस पर तथा उसके पिता पर एवं उसकी नानी चंद्री बाई के साथ मारपीट की उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्र.पी.–3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि अभियुक्त रामकुंवर द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी तथा शेष सभी अभियुक्तगण मौके पर खड़े हुये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त उक्त बिन्दु पर यह तर्क किये गये हैं कि स्वंय आहत द्वारा केवल मात्र रामकुंवर द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया गया है। ऐसे में अन्य सभी अभियुक्तगण पर किसी प्रकार का कोई आरोप साबित नहीं होता है, तो इस संबंध में अभियुक्तण सभी पर धारा 149 भा.दं.सं. के भी आरोप हैं। धारा 149 भा.दं.सं. यह स्पष्ट करता है कि भले ही कोई अपराध अथवा कृत्य एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो, किन्तु विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्य उक्त कृत्य के लिये उत्तरदायी हैं। आहत स्वयं

महेश द्वारा स्पष्ट रूप से सभी अभियुक्तगण का मौके पर कोई वहां उपस्थित रहना तथा अभियुक्त रामकुंवर द्वारा उसके साथ मारपीट की जाकर उसके चोटें कारित किये जाने का अखंण्डित कथन किया है। ऐसे में धारा 149 भा.दं.सं. के अनुसार सभी अभियुक्तगण विधिविरुद्ध जमाव का गठन होने से कारित किये गये सभी अपराध के लिये उत्तरदायी हैं। आहत महेश के शरीरी पर आयी चोटों की सम्पुष्टिस्वरूप प्रकरण में पी. डब्ल्यू—4 चिकित्सा अधिकारी डॉ. उमेश मीणा न्यायालय में परीक्षित हुये हैं। उक्त गवाह द्वारा दिनांक 14.11.2017 को आहत महेश के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर न्यायायल के समक्ष यह बयान दिये हैं कि आहत के शरीर पर चार चोटें आयीं, जो कि सामान्य प्रकृति की थी। जो कुन्द हथियार से कारित की गयी थी तथा चोटों की अवधि परीक्षण से 24 घंटे के भीतर की थी। परिवादी द्वारा एफ.आई.आर. में घटना दिनांक 14.11.2017 की बतायी है। स्वयं आहत द्वारा भी उसके शरीर पर आयी चोटों का समय घटना की दिनांक 14.11.2017 को कारित होने का कथन किया है। इस प्रकार पी.डब्ल्यू—4 के बयानों से अभियोजन पक्ष की कहानी की इस बात तक पुष्टि होती है कि आहत महेश के शरीर पर दिनांक 14.11.2017 की अवधि में चोटें कारित की गयी हों।

इसी क्रम में पी.डब्ल्यू—3 रामरतन द्वारा भी सभी अभियुक्तगण का उनके खेत व उस पर स्थित मकान में प्रवेश करने तथा चंद्रीबाई व महेश के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है। जिरह में यह कथन किया है कि वह घटना के दिन ट्रेक्टर पर बैठा हुआ था तथा उसका लड़का महेश पानी लेने अन्दर गया हुआ था तथा उस समय घटना हुयी थी। उक्त प्रश्न से चक्षुदर्शी साक्षी गवाह रामरतन की संपूर्ण मुख्य परीक्षा की साक्ष्य का यह खण्डन नहीं होता है कि उसने घटना देखी ही न हो, बल्कि उक्त गवाह द्वारा आहत महेश की संपुष्टिस्वरूप न्यायालय में बयान दिये हैं।

इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी रामरतन आहत महेश व चिकित्सा अधिकारी पी.डब्ल्यू—4 उमेश के कथनों से न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि दिनांक 14.11.2017 को दिन के करीब 01:30 बजे अभियुक्तगण रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सभी विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर आहत महेश के साथ मारपीट कर उसे इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसके चोटे कारित की एवं बलवा कारित किया।

अभियुक्तगण पर धारा 447 भा.दं.सं. का भी आरोप है। उक्त अपराध को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के कब्जे की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया। इस संवंध में पी.डब्ल्यू—3 रामरतन, पी. डब्ल्यू—6 महेश एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी शिवलाल के बयानों से न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि विवादित खेत केवल मात्र परिवादी पक्ष का नहीं होकर अभियुक्तगण की खातेदारी का भी है ऐसे में यद्यपि न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ घटना कारित की गयी है तथापि अभियुक्तगण को विवादित खेत में

प्रवेश करने का कोई अधिकार ना हो, यह न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं है।

16. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोज पक्ष स्वयं की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 14.11.2017 को समय 12:45 बजे याव उसके लगभग स्थान इन्द्रपुरिया में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत महेश को इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध कारित कर विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर महेश के साथ मारपीट कर उसे साधारण चोटें कारित की एवं बलवा कारित किया, किन्तु अभियोजन पक्ष संदेह से परे न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा अनाधिकृत रूप से अपराध कारित करने के आशय से परिवादी के खेत में प्रवेश किया हो।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 147, 149 भा.दं.सं. को साबित करने में सफल रहा है, किन्तु अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447 भा.दं.सं. को साबित करने में असफल रहा है।

परिणामतः अभियुक्तगण रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 147, 149 भा.दंसं. के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य हैं तथा अभियुक्तगण रामकुंवर उर्फ रामकुमार, रामपाल, किशनलाल, कलावती, कान्ती बाई उर्फ कान्ही व रामघणी आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447 में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं।

—:आदेशः—

17. अतः **अभियुक्तगण 1. रामकुंवार उर्फ रामकुमार** उम्र 47, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. रामपाल** पुत्र गेन्दीलाल उम्र 46 वर्ष, निवासी रामराजपुरा, थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **3. किशनलाल** पुत्र रामा उम्र 46 वर्ष, निवासी जमीतपुरा थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) **4. कलावती** पत्नी रामकुंवर उम्र 46 वर्ष, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **5. कान्ती बाई उर्फ कान्ही** पत्नी रामपाल उम्र 43 वर्ष, निवासी रामजराजपुरा थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **6. रामघणी** पत्नी किशनलाल उम्र 39 वर्ष, निवासी जमीतपुरा, थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 147, 149 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण **1. रामकुंवार उर्फ रामकुमार** उम्र 47, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. रामपाल** पुत्र गेन्दीलाल उम्र 46 वर्ष, निवासी रामराजपुरा, थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **3. किशनलाल** पुत्र रामा उम्र 46 वर्ष, निवासी जमीतपुरा थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) **4. कलावती** पत्नी रामकुंवर उम्र 46 वर्ष, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **5. कान्ती बाई उर्फ कान्ही** पत्नी रामपाल उम्र 43 वर्ष, निवासी रामजराजपुरा थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **6. रामघणी** पत्नी किशनलाल उम्र 39 वर्ष, निवासी जमीतपुरा, थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, बूंदी

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।</u>

18. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में अन्वीक्षा भी भुगती गयी है। आरोपित अपराध मुत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं है। अभियुक्तगण की उम्र व परिवारजन के पालन पोषण के दायित्व के मध्य नजर अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को के विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

19. सुना गया। तर्कों पर मनन किया गया। मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत प्रमाण पत्रावली पर नहीं है तथा अभियुक्तगण द्वारा किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं होने एवं ना ही परिवीक्षा अधिनियम का लाभ लिये जाने के सम्बंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अभियुक्त के आचरण, उसकी अवस्था एवं समाज में उसके पुनः स्थापित होने के तथ्य पर विचार किया जाकर उसे आपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>::– दण्डादेश –::</u>

20. **अतः अभियुक्तगण 1. रामकुंवार उर्फ रामकुमार** उम्र 47, निवासी इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. रामपाल** पुत्र गेन्दीलाल उम्र 46 वर्ष, निवासी रामराजपुरा, थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **3. किशनलाल** पुत्र रामा उम्र 46 वर्ष, निवासी जमीतपुरा थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) **4. कलावती** पत्नी रामकुंवर उम्र 46 वर्ष, निवासी

इन्द्रपुरिया, थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **5. कान्ती बाई उर्फ कान्ही** पत्नी रामपाल उम्र 43 वर्ष, निवासी रामजराजपुरा थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) **6. रामघणी** पत्नी किशनलाल उम्र 39 वर्ष, निवासी जमीतपुरा, थाना तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 147, 149 भा.दं.सं.,1860 में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर, परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद दस हजार रूपये की जमानत व इसी कदर राशि के स्वयं का मुचलका एक वर्ष की समयावधि के लिए, जो इस आशय के हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेंगे तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दण्ड ग्रहण करेंगे, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में प्रत्येक अभियुक्त 400/—रूपये (कुल अक्षरे दो हजार चार सौ रूपये) न्यायालय में जरिये ई—चालान जमा करावें तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। अभियुक्तगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने के बाद उनमें से बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी 2,000/—रूपये अक्षरे दो हजार रुपये आहत महेश को बतौर क्षतिपूर्ति अदा किये जावें एवं शेष राशि अभियोजन व्यय के रूप में जमा की जावे।

21. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत नियमित उपस्थिति बाबत प्रतिभू पत्र एवं बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं।

22. धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत बन्ध—पत्र छह माह तक प्रवृत रहेंगे।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन
जिला बूंदी (राज.)

23. निर्णय व आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन
जिला बूंदी (राज.)